फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना नवाबगंज

दि0-04.04.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 01. महेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 सूबेदार 02. हिन्दराज पुत्र सुरेशचन्द्र निवासीगण महमदपुर करसान थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ मु0अ0स0- 385/2010 वाद संख्या 228/2011 धारा 307/34 भा0द0वि0 थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त गण के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **मा0 न्यायालय एडीजे-7 कोर्ट द्वारा दिनांक 04.04.2026 को अभियुक्त गण को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को 07 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा व 5000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

एडीजीसी - श्री संजीव मिश्रा

को0 मो0 - म0हे0का0 सुशीला

पैरोकार - का0 कृष्णवीर

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट थाना -कादरीगेट

दिनांक – 04.04.2026

थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को लूटे गये मोबाइल एंव पैसों सहित किया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कादरीगेट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 77/26 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस में प्रकाश में आये 02 अभियुक्त अनिकेत पुत्र भल्लू उर्फ विजय कश्यप उर्फ राजा व प्रेम कश्यप पुत्र श्याम कश्यप निवासी काशीराम कॉलोनी हैबतपुर गढ़िया थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ को लूटे गये 01 मोबाइल व 1100/- रुपये सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. अनिकेत पुत्र भल्लू उर्फ विजय कश्यप उर्फ राजा निवासी काशीराम कॉलोनी हैबतपुर गढ़िया थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
2. प्रेम कश्यप पुत्र श्याम कश्यप निवासी काशीराम कॉलोनी हैबतपुर गढ़िया थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण- दिनांक 03.04.2026 को वादी श्री सरबजीत कश्यप पुत्र नरेश कश्यप निवासी ग्राम सिमरिया देंदु थाना हजरतपुर जनद बदायूं ने थाना कादरीगेट पर तहरीर दी कि दो अज्ञात युवको द्वारा उसको अपने साथ ई-रिक्शा में बैठाकर सूनसान स्थान पर लेकर उसका मोबाइल टैक्नो कम्पनी व 1100/- रुपये लूट लिये है। वादी की तहरीर के आधार पर तत्काल थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 77/26 धारा 309(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में ऑपरेशन दृष्टि के तहत थाना क्षेत्र में लगवाये गये सीसीटीवी कैमरो व मुखिबरों की सूचना पर प्रकाश में आये 02 अभियुक्तों को 01. अनिकेत पुत्र भल्लू उर्फ विजय कश्यप उर्फ राजा निवासी काशीराम कॉलोनी हैबतपुर गढ़िया थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ 02. प्रेम कश्यप पुत्र श्याम कश्यप निवासी काशीराम कॉलोनी हैबतपुर गढ़िया थाना मऊदरवाजा फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अभियुक्तो के कब्जे से अभियोग से सम्बन्धित मोबाइल TECNO कम्पनी व 1100 रूपये बरामद कर गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त अनिकेत उपरोक्त एंव प्रेम कश्यप उपरोक्त द्वारा पूछताछ के दौरान वादी को ई-रिक्शा में बैठाकर ले जाने व मोबाइल तथा पैसे लूट लेना स्वीकर करते हुए अपने बयान अपने वकील के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष देना बताया।

बरामदगी का विवरण:-

01. एक मोबाइल टैक्नो कम्पनी
02. कुल 1100/- रुपये

अभियुक्त अनिकेत उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

01. मु0अ0सं0 77/26 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।
02. मु0अ0सं0 138/25 धारा 304/317(2) बीएनएस थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
03. मु0अ0सं0 318/23 धारा 323/342/504 भादवि थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त प्रेम कश्यप उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

01. मु0अ0सं0 77/26 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली थाना कादरीगेट पुलिस टीम:-

01. उ0नि0 श्री विशेष कुमार
02. का0 विवेक कुमार
03. का0 अजीत सोलंकी

मीडिया सेल फतेहगढ़।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक - 04.04.2026

थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा लूट के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा लूटे गये रुपये में से 1800 रूपये सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मऊदरवाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 375/2025 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा लूटे गये रुपये में से 1800 रूपये सिहत गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

01. प्रवेश राजपूत पुत्र मकरन्द निवासी आकलगंज थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण: दिनांक 24.12.2025 को वादी श्री सुमन प्रकाश दुबे पुत्र स्व0 दलजीत दुबे निवासी काशीराम कालोनी हैवतपुर गढ़िया थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक 23.12.2025 की शाम समय करीब 18.45 बजे दुकान से घर वापस जाते समय अज्ञात मोटर साइकिल सवारों ने टक्कर मारकर गिरा दिया तथा तमंचा तान कर झोले में रखे रुपये छीनकर भाग गये थे। वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 375/2025 धारा 309(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में प्रकाश में आये 04 अभियुक्तो में से 02 अभियुक्तों को दिनांक 21.03.2026 को जेल भेजा जा चुका है। अग्रिम विवेचना के क्रम में प्रकाश में आया अभियुक्त प्रवेश राजपूत पुत्र मकरन्द निवासी आकलगंज थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 01 कारतूस 315 बोर लूट गये रुपयों में से 1800 रुपये बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त प्रवेश राजपूत उपरोक्त से पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा अपने जुर्म से इकबाल करते हुए अपने बयान अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष देना बताया।

अभियुक्त प्रवेश राजपूत उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 375/2025 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी का विवरण:-

1. 1800/- रुपये नगद
2. एक अवैध तमंचा
3. 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली थाना मऊदरवाजा पुलिस टीम-

1. थाना प्रभारी श्री अजब सिंह
2. उ0नि0 श्री विनीत त्रिपाठी
3. उ0नि0 श्री यतेन्द्र सिंह
4. हे0का0 अंकित अग्रिहोत्री
5. का0 अंकित कुमार
6. का0 अंकित कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना अमृतपुर

दिनांक – 04.04.2026

थाना अमृतपुर पुलिस द्वारा हत्या के आरोप में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्द्र के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अमृतपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 140/25 धारा 140(1)/103(1)/238/61(2) बीएनएस में नामजद अभियुक्त देवेन्द्र सिंह पुत्र जाहर सिंह निवासी ग्राम हुसैनपुर राजपुर थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

01. देवेन्द्र सिंह पुत्र जाहर सिंह निवासी ग्राम हुसैनपुर राजपुर थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 21.07.2025 को थाना स्थानीय पर वादिनी के द्वारा अपने पुत्र के गुम होने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर गुमशुदगी नं0 13/2025 दर्ज की गयी। दिनांक 31.08.2025 को गुमशुदा की पत्नी के प्रार्थना पत्र के आधार पर गुमशुदगी को मु0अ0सं0 140/25 धारा 140(3) बीएनएस बनाम वाइस्तवा रामू यादव आदि 06 नफर पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में दिनाँक 01.04.2026 को अभियुक्त रामू यादव उर्फ कुलदीप यादव की गिरफ्तारी की गयी। साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 140(3) बीएनएस को लोप करते हुए धारा 140(1)/103(1)/238 बीएनएस की बढोत्तरी की गई तथा दिनाँक 02.04.2026 अभियुक्त सुरजीत उर्फ नन्हकू पुत्र अजयपाल यादव निवासी ग्राम गूजरपुर पमारान थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़ को पुलिस मुठभेढ़ में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आज दिनांक 04.04.2026 को अभियोग उपरोक्त में वांछित अभियुक्त देवेन्द्र सिंह पुत्र जाहर सिंह निवासी ग्राम हुसैनपुर राजपुर थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़ को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण – अभियुक्त देवेन्द्र सिंह उपरोक्त ने पूछताछ करने पर अभियुक्त ने अपनी गलती की माँफी मांगते हुये अपने बयान अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष देना बताया।

अभियुक्त देवेन्द्र सिंह उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

01. मु0अ0सं0 97/2020 धारा 323/325/504/506 भादवि0 थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ।
02. मु0अ0सं0 84/2021 धारा 323/506 भादवि0 थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ।
03. मु0अ0सं0 36/2022 धारा 147/323/504/506 भादवि0 थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ।
04. मु0अ0सं0 140/25 धारा 140(1)/ 103(1)/238/61(2) बीएनएस थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।
05. मु0अ0सं0 1344/2018 धारा 135 भारतीय विधुत अधि0 कोतवाली फर्रूखाबाद जनपद फतेहगढ।
06. मु0अ0सं0 115/2019 धारा 120बी/409/504/506 भादवि0 थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ।

गिरफ्तारी करने वाली थाना अमृतपुर पुलिस टीम-

01. थानाध्यक्ष श्रीमती रक्षा सिंह
02. महिला हे0का0 अनीता वर्मा
03. का0 अंकित कुमार
04. का0 विकास भाटी

मीडिया सेल फतेहगढ़।

फतेहगढ़ पुलिस

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

प्रेस नोट – थाना मेरापुर

दिनांक - 04.04.2026

मु0अ0सं0 348/2025 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त/गैंगसदस्य तारिक उर्फ तालिब द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी स्वयं व अपने परिजनों के नाम अवैध चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब "पचपन लाख चौहत्तर हज़ार एक सौ छः रुपये" को थाना मेरापुर पुलिस द्वारा धारा 14(1) गैगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत माननीय जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपालन मे कुर्क किया गया।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर, श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर, श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली कायमगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 348/2025 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 बनाम गैंग लीडर 01. जुबैर खान पुत्र लड्डन खान निवासी मो0 गढी इज्जत खां कस्बा व थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ़, व गैंग सदस्य तारिक उर्फ तालिब द्वारा अवैध रुप से अर्जित स्वयं व स्वयं के परिजनों के नाम पंजीकृत अवैध सम्पत्ति कीमत करीब 55,74,106/- (पचपन लाख चौहत्तर हज़ार एक सौ छः रुपये) को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत शासन द्वारा नियुक्त प्रशासक नायब तहसीलदार कायमगंज के नेतृत्व में कुर्क किया गया।

अभियुक्त/गैंगसदस्य तारिक उर्फ तालिब उपरोक्त की कुर्क की गयी चल/अचल सम्पत्ति का विवरण

अचल सम्पत्ति

क्र0सं0	नाम पंजीकृत स्वामी	सम्पत्ति का विवरण	क्षेत्रफल	सरकारी मूल्यांकन (रूपये)	बाजार मूल्यांकन (रू0)
1.	तारिक उर्फ तालिब पुत्र शाहिद खां निवासी चौक मऊरशीदाबाद थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ़	आवसीय भवन स्थित चौक मऊरशीदाबाद कायमगंज थाना कायमगंज जनपद फर्रुखाबाद	165 वर्ग मीटर (निर्मित Building old)	12,12,000/-	12,00,000/-
कुल योग				12,12,000/-	12,00,000/-
			सर्किल रेट पर मूल्यांकन के आधार पर --- 12,12,000/- **(बारह लाख बारह हजार रुपये मात्र)**		
			वर्तमान रेट बाजार मूल्यांकन के आधार पर ---- 12,00,000/- **(बारह लाख रुपये मात्र)**		

प्रारुप – 02 चल सम्पत्ति वाहन

क्र0सं0	वाहन स्वामी का नाम	वाहन नम्बर	वाहन का प्रकार	वर्तमान मूल्याकन
1	तारिक उर्फ तालिब पुत्र शाहिद खां निवासी मऊरशीदाबाद थाना कायमगंज जनपद फर्रुखाबाद	UP76T3659	ट्रक	19,24,331/-
2		UP76AE0589	कार	1,99,715/-
3		UP76AQ8609	कार	6,70,500/-
4		UP76T1584	ट्रक	15,79,560/-
चल सम्पत्ति वाहन (क्रम सं0 01 लगायत 04) का योग				**43,74,106/-(तैंतालीस लाख चौहत्तर लाख एक सौ छ: रुपये)**

उपरोक्त अभियोग में जब्तीकरण की कार्यवाही के अन्तर्गत अभियुक्त/गैंगसदस्य तारिक उर्फ तालिब पुत्र शाहिद खां निवासी चौक मऊरशीदाबाद कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ द्वारा गैंग के सह अभियुक्तों के साथ मिलकर अपने व परिवारीजन के नाम अवैध रूप से अर्जित की गयी चल व अचल सम्पत्ति कीमत करीब 55,74,106/- (पचपन लाख चौहत्तर हज़ार एक सौ छः रुपये) को आज दिनांक 04.04.2026 को कुर्क किया गया।

अभियोग में अब तक कुल 28,82,38,351.60/-(अट्ठाइस करोड़ बयासी लाख अड़तीस हज़ार तीन सौ इक्यावन दशमलव छः रुपयें) रुपयें की सम्पत्ति को कुर्क किया जा चुका है। गैंगस्टरों व माफियाओं के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में उपरोक्त अभियोग में शीघ्र ही अन्य अवैध सम्पत्तियो की भी जानकारी करते हुये आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

कुर्की की कार्यवाही में लगा पुलिस फोर्स:

1. प्र0नि0 श्री राजीव पाण्डेय थाना मेरापुर मय हमराह पुलिस बल
2. प्र0नि0 श्री मदन मोहन चतुर्वेदी कोतवाली कायमगंज मय हमराह पुलिस बल

मीडिया सेल फतेहगढ़।

घटना का विवरण :- वादी ताहर सिंह पुत्र अन्तराम निवासी ग्राम करनपुर थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी गई कि अभियुक्तों द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर, धोखाधडी करके फर्जी बोगस फर्म बनाकर जीएसटी का अपवंचन किया जा रहा है। प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 71/2026 धारा 318(4),338,336(3),340(2),61(2),352,351(3) बी0एन0एस0 तथा मु0अ0सं0 072/2026 धारा 318(4),319(2),338,336(3),340(2),61(2) बी0एन0एस0 बनाम सैय्यद अरवाज अली उर्फ सद्दाम पुत्र आफाक अली आदि 03 पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर राजीव तिवारी पुत्र रामविलास तिवारी निवासी ग्राम नुनवारा कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ का नाम प्रकाश में आया। दिनांक 22.03.2026 को अभियोग उपरोक्त में 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है । आज दिनांक 04.04.2026 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त राजीव तिवारी उपरोक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त उपरोक्त नें पूछताछ में बताया कि मैं जय सनी ट्रान्सपोर्ट कम्पनी का मालिक हूं और तम्बाकू व्यापारियों व अन्य व्यापारियों को ट्रांसपोर्ट वाहन उपलब्ध कराता हूं । जुबैर और अरवाज के द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-वे बिल के आधार पर जुबैर के साथी सुखवीर व अन्य लोगों के वाहनों के नाम से उनके द्वारा बताये हुए पते की बिल्टी काट कर वाहन उपलब्ध कराता हूं जुबैर व हम लोगों ने एक गैंग बना रखी है जिसमें फर्जी फर्मों के नाम से जी0एस0टी0 चोरी करने के इरादे से व्यापारियों का माल फर्जी फर्मों के नाम से फर्जी ई-वे बिल तथा उसी पते की फर्जी बिल्टी काटने व अरवाज, अमन व फैसल सुखवीर आदि के साथ मिलकर मोटा मुनाफा कमाते थे।

बरामदगी का विवरण:-

01. फर्जी फर्म्स अमन ट्रेडिंग कम्पिनी ट्रांस्पोर्ट बिल्टी बिल्स एवं उनकी छायाप्रतियां
02. फर्जी फर्म्स नुहा टुबैको कम्पनी बिल्टी बिल्स एवं उनकी छायाप्रतियां
03. स्टार इण्टर प्राईजेज कप्नी बिल्टी बिल्स एवं उनकी छायाप्रतियां
04. 02 मोबाइल

अभियुक्त राजीव तिवारी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

01.मु0अ0सं0 71/2026 धारा 318(4),338,336(3),340(2),61(2),352,351(3) बी0एन0एस0 कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ ।

02.मु0अ0सं0 72/2026 धारा 318(4),319(2),338,336(3),340(2),61(2) बी0एन0एस0 कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली कोतवाली कायमगंज पुलिस टीम:-

01. प्र0नि0 श्री मदन मोहन चतुर्वेदी
02. उ0नि0 श्री बलवीर सिंह
03. का0 बबलू कुमार
04. का0 रोहित कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।